

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/111/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.सं. 111 / 2024 अनवान बजरंग लाल पिता किशोर मीणा निवासी लुहारीकला ब्रह्म गोपाल पिता नाहरा मीणा निवासी भाव का गुढा, बाली पत्नी सोहनलाल मीणा निवासी भाव का गुढा, नरेश पिता सूरजमल कंजर निवासी इटुंदा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम उदा का खेड़ा प.ह. विजेठा आराजी सं. 107 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

बजरंग लाल पिता किशोर मीणा निवासी लुहारीकला

बनाम

गोपाल पिता नाहरा मीणा निवासी भाव का गुडा बगैरह

मुकदमा नंबर 111/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
08-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम उदा का खेड़ा प.ह. बिजेठा आराजी सं. 107 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम उदा का खेड़ा प.ह. बिजेठा आराजी सं. 107 कुल किता 01 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)